राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 557/2015.....जिला.....जयपुर.....

उनवान–मैसर्स निखिलेश्वर इण्डस्ट्रीज, चौमू, जयपुर बनाम् सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान–वृत्त–प्रथम, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.05.2015	**खण्डपीठ** **श्री बी.के.मीणा, अध्यक्ष** **श्री मदन लाल,सदस्य** अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी–तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक **17.03.2015,** जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38 के तहत् पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान–वृत्त–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "विक्रय कर अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25, 55 व 61 के तहत् निर्धारण वर्ष **2012–13** के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक **20.10.2014** के जरिये कायम की गयी मांग राशि के संबंध में अपीलीय अधिकारी के समक्ष रोक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार करने को विवादित कर, सुनवायी के दौरान मांग राशि रू.1,33,64,416/– पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी। अपीलार्थी की ओर से विद्वान पंकज घीया व विभाग की ओर से श्री एन.के.बैद, प्रस्तुत रोक आवेदन पत्रों पर बहस हेतु दिनांक 13.05.2015 को उपस्थित हुये। उभयपक्षीय बहस सुनी जाकर निर्णय पारित किया जा रहा है। उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में मैसर्स गोविन्दशरण खण्डेलवाल, दलाल, डी–448, चांदपोल बाजार, जयपुर अर्थात दलाल के व्यवसाय स्थल पर सर्वेक्षण के दौरान पाये गये दस्तावेजों के आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर मांग राशियां कायम करने का महत्वपूर्ण विधिक बिन्दु अन्तर्वलित है। अतः प्रकरण व सुविधा संतुलन आंशिक रूप से ही अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अतः वसूली योग्य मांग राशि में से शास्ति राशि रू.82,24,256/– की वसूली पर आगामी सुनवायी तिथि तक रोक इस शर्त के साथ लगायी जाती है कि अपीलार्थी व्यवहारी निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में **पर्याप्त जमानत प्रस्तुत करने की दशा में,** अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित **अपील के निर्णय अथवा 2 माह, जो भी पहले हो, तक रोक लगायी जाती है । शेष मांग राशि वसूली योग्य है। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के 2 माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।** निर्णय प्रसारित किया गया। **(मदन लाल)** सदस्य **(बी.के.मीणा)** अध्यक्ष	